

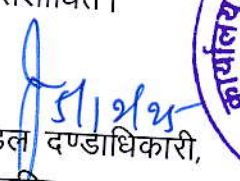
न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

वाद सं० - एम० 19/2025-26
धारा 126 बी०एन०एस०एस०

प्रथम पक्ष : जॉन बी०जे० सुरीन
बनाम

द्वितीय पक्ष : खुशी कुमारी वगै०

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी
	वाद की कार्रवाई बी०एन०एस०एस० की धारा 126 के तहत बसिया थाना के अप्राथमिकी संख्या 08/2025, दिनांक 09.06.2025 के द्वारा प्रतिवेदित प्रथम पक्ष : 1. जॉन बी०जे० सुरीन उम्र 58 वर्ष, पिता - अगुस्टीन सुरीन, ग्राम - कोनबीर नवा टोली, थाना - बसिया, जिला - गुमला बनाम द्वितीय पक्ष : 1. खुशी कुमारी, उम्र 32 वर्ष, पिता - स्व० दुखिया महतो, 2. रितेश कुमार महतो, उम्र 35 वर्ष, ग्राम - कोनबीर नवा टोली, थाना - बसिया, जिला - गुमला के मध्य मौजा - कोनबीर के खाता संख्या 128, प्लॉट संख्या 129, रकबा 0.50 डी० भूमि विवाद को लेकर आपस में तनाव एवं उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्या के आलोक में प्रारंभ की गई। उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किए हैं, जो अभिलेख में संधारित है। प्रश्नगत मामले में संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायालय में तथ्यों के प्रस्तुतीकरण एवं न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में थाना या अन्य किसी स्रोत से किसी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त न होने के कारण उक्त मामले को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के फलस्वरूप बिना गुण-दोष के इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार प्रश्नगत स्थल पर लोक परिशांति व विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।	